<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

अपील/डिक्री/टीए/1193/2005/नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ममेडतासिटी जिला नागौर

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

मोहन सिंह पुत्र धीर सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम पांचडोलिया खुर्द तहसील मेडता जिला नागौर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्रीमती पूनम माथुर अति.राज. अभिभाषक अपीलार्थी
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी
श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 27.01.2020

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी नाागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–9–2003 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष प्रत्यर्थी वादी ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचारण न्यायालय ने अपने

निर्णय दिनांक 30–5–2004 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–9–2003 से अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित हो कि उसका सम्बत 2012 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। इस कारण विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया था। प्रत्यर्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है। विवादित भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि है जिस पर कानूनन प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।इसके अलावा जब प्रत्यर्थी स्वयं यह कथन करता है कि पूर्व में उक्त भूमि में से नारायणराम तथा जमाल तेली को भूमि का आवंटन किया गया है तो प्रत्यर्थी स्वयं ने आवंटन की कार्यवाही क्यों नहीं की। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41नियम 31 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से भी निरस्त योग्य है।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मौजा पांचडोलिया कलां की सरहद में खसरा नम्बर 128 रकबा 34 बीघा 17विस्वा में से नारायण रेगर व जमाल तेली को कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।प्रत्यर्थी वादी का बंटशुदा खेत खसरा नम्बर 130 है इसके पास खसरा नम्बर 128 में से

98बीघा भूमि आई हुई है। खसरा गिरदावरी में सम्बत 2035 से लगातार उसका कब्जा काश्त है। काश्त के अलावा बाकी रकबे पर कभी कभी जानवर चराते हैं और कब्जा 8बीघा जमीन पर ही चला आ रहा है। सम्बत 2024–27 में अकाल के कारण काश्त नहीं की है लेकिन कब्जा उन्हीं का चला आ रहा है। मौखिक साक्ष्य में गवाहान ने भी वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी का ही कब्जा बताया है। इसलिये अपीलीलय न्यायालय ने प्रत्यर्थी का वाद डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ने जो खसरा परिवर्तनशील की नकलें पेश की हैं उनमें खसरा नम्बर 128 पर सम्बत 2035, 2037, 2038–40, 2041, 2042–49 में वादी की काश्त दर्ज है लेकिन सम्बत 2035 से पूर्व का एवं सम्बत 2049 के बाद का कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी वादी का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा प्रमाणित नहीं है। प्रत्यर्थी वादी ने अपने वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी पर 50वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त होना बताया है परन्तु किसी साक्ष्य के द्वारा कब्जा प्रमाणित नहीं कराया है। खसरा नम्बर 128 राजकीय भूमि है जिस पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त भी प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार वादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद सही रूप से खारिज किया है लेकिन अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली

पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत जाकर अवैधानिक रूप से वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–9–2003 निरस्त किये जाते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–5–2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य